भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1028

08 दिसम्बर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पंजाब में आयुष स्वास्थ्य केन्द्र

1028. श्री सुशील कुमार रिंकू:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आयुष स्वास्थ्य केन्द्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) देश में विशेषकर पंजाब में अब तक चल रहे आयुष स्वास्थ्य केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनकी स्थापना के संबंध में निर्धारित लक्ष्य और अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है तथा पूरे देश में इसके प्रति अनुक्रिया क्या है;

(घ) देश में जिला स्तर पर आयुष केन्द्रों के विकास के लिए उठाए गए कदमों/प्रस्तावित कदमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में विभिन्न कम्पनियों द्वारा निर्मित आयुष दवाओं और जड़ी-बूटी से बनी दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु किसी विभाग की स्थापना की है/नॉडल ऑफिसर तैनात किया है; और

(च) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर पंजाब के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से 12,500 आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) को संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों की मुख्य विशेषताएं **संलग्नक-I** पर दी गई हैं।

(ख) से (घ): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, देश में जिला स्तर पर आयुष वेलनेस केंद्रों का विकास संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। हालाँकि, आयुष मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के एक घटक के रूप में आयुष्मान भारत के तहत एएचडब्ल्यूसी के संचालन को कार्यान्वित कर रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों की कुल 12,500 इकाइयों को एएचडब्ल्यूसी के रूप में उन्नत करने की मंजूरी दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 8168 एएचडब्ल्यूसी को कार्यशील कर दिया गया है। पंजाब सहित अनुमोदित और कार्यशील एएचडब्ल्यूसी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक-II** पर दी गई है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, रोगी इलाज के लिए एएचडब्ल्यूसी में जा रहे हैं और आयुष सिद्धांतों और प्रथाओं के अनुसार व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें एएचडब्ल्यूसी स्तर के साथ-साथ समुदाय में आयोजित योग सत्र भी शामिल हैं।

(ड.) और (च): जैसा कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत बनाए गए औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में निर्धारित है, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण और औषधि लाइसेंस जारी करने से संबंधित कानूनी प्रावधानों को लागू करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य औषधि नियंत्रकों/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के कार्यक्षेत्र में आता है। आयुष मंत्रालय ने अपने अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) की स्थापना दो पूर्ववर्ती केंद्रीय प्रयोगशालाओं अर्थात् भारतीय चिकित्सा फार्माकोपियल प्रयोगशाला (पीएलआईएम) और होम्योपैथिक फार्माकोपियल प्रयोगशाला (एचपीएल) को इसमें मिलाकर की है, और आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) दवाओं के परीक्षण के लिए अपीलीय प्रयोगशाला का दर्जा दिया है। इसके अलावा, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 160 क से ठ आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधियों की पहचान, शुद्धता, गुणवत्ता और क्षमता के ऐसे परीक्षण करने के लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की मंजूरी के लिए नियामक दिशानिर्देश प्रदान करता है, जैसा कि आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के निर्माण के लिए लाइसेंसधारी की ओर से इन नियमों के प्रावधानों के तहत आवश्यक हो। अभी तक, 35 राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को उनकी ढांचागत और कार्यात्मक क्षमता को मजबूत करने के लिए समर्थन दिया गया है। इसके अलावा, आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं और कच्चे माल की गुणवत्ता परीक्षण के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के प्रावधानों के तहत 97 प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है या लाइसेंस दिया गया है। (शेष विवरण सार्वजनिक डोमेन में https://ayush.gov.in/images/domains/quality_standards/ASUdrugTestingLabUnderRule160Eng.pdf और https://ayush.gov.in/images/domains/quality_standards/StateDrugTestingLabortoryASUHEng.pdf पर उपलब्ध हैं।)

*****

संलग्नक-I

आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) की मुख्य विशेषताएं

पृष्ठभूमि:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय प्रायोजित योजना मोड में और राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की व्यापक योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से 12,500 आयुष एचडब्ल्यूसी के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

लक्ष्य

- आयुष सिद्धांतों और प्रथाओं पर आधारित एक समग्र कल्याण मॉडल स्थापित करना।

उद्देश्य

- टीम-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके आयुष के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना
- मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के साथ एकीकरण स्थापित करके निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक और पुनर्वास स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए आयुष सिद्धांतों और प्रथाओं पर आधारित एक समग्र कल्याण मॉडल स्थापित करना।
- आयुष सेवाएं उपलब्ध कराकर जरूरतमंद जनता को सूचित विकल्प प्रदान करना।

कार्यान्वयन की नीति

आयुष मंत्रालय को आयुष्मान भारत के तहत, 12,500 एचडब्ल्यूसी विकसित करने का काम दिया गया है। इसे राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से हासिल किया जाएगा। राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से वित्त पोषण किया जाएगा।

आयुष मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों के रूप में उन्नयन के लिए निम्नलिखित दो मॉडल प्रस्तावित किए हैं:-

i. आयुष औषधालयों का उन्नयन
ii. मौजूदा उप स्वास्थ्य केंद्रों (एससी) का उन्नयन

उपर्युक्त दोनों मॉडलों का वित्त पोषण राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से किया जाएगा। आयुष औषधालयों के उन्नयन और संचालन की जिम्मेदारी आयुष विभाग की होगी। उन्नत उप स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन राज्य स्वास्थ्य विभागों द्वारा किया जाएगा और इस मामले में धन का प्रवाह राज्य आयुष सोसायटी से राज्य स्वास्थ्य सोसायटी को किया जाएगा।

संलग्नक-II

अनुमोदित और कार्यशील आयुष एचडब्ल्यूसी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	अनुमोदित आयुष एचडब्ल्यूसी	कार्यशील आयुष एचडब्ल्यूसी
1	आंध्र प्रदेश	203	126
2	अरुणाचल प्रदेश	89	49
3	असम	489	289
4	बिहार	388	113
5	छत्तीसगढ़	400	400
6	गोवा	74	72
7	गुजरात	365	283
8	हरियाणा	569	372
9	हिमाचल प्रदेश	740	303
10	झारखंड	745	560
11	कर्नाटक	376	376
12	केरल	520	357
13	मध्य प्रदेश	762	562
14	महाराष्ट्र	390	281
15	मणिपुर	67	15
16	मेघालय	45	22
17	मिजोरम	38	38
18	नागालैंड	49	47
19	ओडिशा	422	250
20	**पंजाब**	**217**	**0**
21	राजस्थान	2019	919
22	सिक्किम	18	18
23	तमिलनाडु	650	250
24	तेलंगाना	421	421
25	त्रिपुरा	84	38
26	उत्तर प्रदेश	1034	756
27	उत्तराखंड	300	267
28	पश्चिमी बंगाल	540	520
29	अंदमान	6	6
30	चंडीगढ़	12	5
31	दिल्ली	0	0
32	दादरा और नागर हवेली व दमण और दीव	1	0
33	जम्मू-कश्मीर	456	442
34	लद्दाख	0	0
35	लक्षद्वीप	7	7
36	पुडुचेरी	4	4
कुल		**12500**	**8168**